



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-16022026-270165
CG-KA-E-16022026-270165

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 681]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 11, 2026/माघ 22, 1947

No. 681]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 2026/MAGHA 22, 1947

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 11 फरवरी, 2026

का.आ. 715(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20F के खंड (6) और धारा 2 के खंड 7A द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए, रेल मंत्रालय (दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी) इसके द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (4) में बताए गए अधिकारियों को 'सक्षम प्राधिकारी' और नीचे दी गई तालिका के कॉलम (5) में बताए गए अधिकारियों को 'मध्यस्थ' के रूप में अधिकृत करता है, ताकि वे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण के संबंध में नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में बताए गए जिलों से संबंधित कॉलम (2) में बताए गए विशेष रेलवे परियोजना के लिए उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकें, जो इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

तालिका

क्र. सं.	परियोजना का नाम	जिला	सक्षम प्राधिकारी	आर्बिटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मालवी पर यातायात सुविधाएं :	विजयनगरा		क्षेत्रीय आयुक्त -

	HBI - KTY खंड के बीच मालवी (हा) पर क्रासिंग स्टेशन का निर्माण		सहायक आयुक्त - होसपेटे	कलबुर्गी
--	---	--	------------------------	----------

[फा. सं. डब्ल्यू. 271/नि/बें छा /2025-26/भूमि विरेप/1727]

प्रदीप पुरी, मुख्य अभियंता-III/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Western Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Bengaluru, the 11th February, 2026

S.O. 715(E).—In the exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F and clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) the Ministry of Railway (South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment) hereby authorizes the officers mentioned at column (4) in the table below as 'Competent Authority' and the officers mentioned at column (5) in the table below as 'Arbitrator' to perform the functions as such authority under the said act with effect from date of publication of this notification in the official gazette in respect of Special Railway Projects mentioned at column (2) relating to districts mentioned at column (3) in the table below for Land Acquisition required for the public purpose.

TABLE

Sl. No.	Name of the Project	District	Competent Authority	Arbitrator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Traffic Facilities work at Malavi: Construction of Crossing Station at Malavi(H) between HBI - KTY section	Vijaynagara	Assistant commissioner - Hospet	Regional Commissioner - Kalburgi

[F. No. W.271/CN/BNC/2025-26/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III/Construction